फर्द अहकाम

अज अदालत–न्यायालय जिला कलक्टर–मुकाम–भरतपुर

पिंकी देवी बनाम लो.सू.अधि. नगर निगम भरतपुर

किस्म मुकदमा अपील **RTI** नम्बर 42 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
30.08.2024	प्रार्थीया/अपीलान्ट पिंकी देवी पत्नी राजूसिंह निवासी प्रदीप हॉस्पीटल के पीछे गोविन्द नगर मकान नं 13 वार्ड नं 43 तीसरी गली वी नारायण गेट भरतपुर द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत द्वितीय अपील विरूद्ध आयुक्त, नगर निगम भरतपुर प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। प्राप्त अपील का अवलोकन किया गया। अपील के साथ संलग्न फोटो प्रति पत्रादि से जाहिर आया कि प्रार्थी ने आर.टी.आई. के तहत प्रेषित द्वितीय अपील में लोक सूचना अधिकारी आयुक्त, नगर निगम भरतपुर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील का निर्णय नहीं करने के कारण द्वितीय अपील इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। आर.टी.आई. एक्ट के तहत आयुक्त नगर निगम, भरतपुर के विरूद्ध द्वितीय अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार जिला कलक्टर भरतपुर को नही है। अतः प्राप्त मूल अपील को लौटाई जाकर अपीलार्थी को लिखा जावे कि वह नियमानुसार सीधे ही राजस्थान सूचना आयोग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर में की जा सकती है। पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर भरतपुर	624 10/09/24 मूल अपील वापिस लौटाई